न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 07/2018

अ[redacted]

पक्ष में निष्पादित करवाया था। उक्त दान पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में इन्तकाल सं0 1430 दिनांक 05.05.15 को रेस्पोडेन्टस सं0 1 द्वारा तस्दीक रजि0 किया।

अपीलान्टस के द्वारा अपनी खातेदारी में से महज 70 हिस्सा भूमि का ही दान पक्ष रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया था परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त दान पत्र के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया उसमें अपीलान्टस के नाम दर्ज सम्पूर्ण खातेदारी का ही इन्तकाल रेस्पोडेन्टस सं0 2 के पक्ष में तस्दीक रजि0 कर दिया गया। जिसके चलते अपीलान्टस के नाम सम्पूर्ण खातेदारी अब रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम दर्ज चली आ रही है। जिससे अपीलान्टस के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपीलान्ट ने प्रमाणित जमाबन्दी चक 9 जेएसएल सम्वत् 2068–71 व सम्वत् 2072–75 व प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण चक 9 जेएसएल पटवार हल्का सागड़ा प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेन्टस द्वारा पक्षकारों का राजीनामा होने पर पत्रावली पर राजीनामा पेश होना जाहिर किया तथा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस रामचन्द्र उक्त वादभूमि के सम्बन्ध में तस्दीक किये गये इन्तकाल सं0 1430 को निरस्त करवाकर दान पत्र की हद तक पूनः इन्तकाल खूलवाने के लिए सहमत व रजामंद होना जाहिर किया।

बहस पक्षकारान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने अपनी चक 9 जेएसएल के खाता सं0 111/104 के मु0नं0 26, 27, 243, 255 की 6.831 है0 नहरी बारानी संयुक्त खातेदारी में से अपीलान्ट का 2/9 हिस्सा अर्थात् 1.518 है0 में से 70 हिस्सा यानि 0.885 है0 भूमि का दान रेस्पोडेन्ट रामचन्द्र के पक्ष में उपपंजीयक भादरा से दिनांक 28.05.14 को निष्पादित करवाया था अपीलान्टस के द्वारा करवाये गये उक्त दान पत्र के आधार पर रेसपोडेन्ट सं0 2 रामचन्द्र के पक्ष में जरिऐ इन्तकाल सं0 1430 दिनांक 05.05.2015 के द्वारा महज 70 हिस्सा भूमि का ही इन्तकाल दर्ज होना था, परन्तु उक्त इन्तकाल से अपीलान्टस के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 रामचन्द्र के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए उक्त इन्तकाल में अपीलान्टस की समस्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में दर्ज होना मुताबिक दान–पत्र सही नहीं था।

अत : उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इंतकाल सं0 1430 दिनांक 05.05.2015 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक दान पत्र दिनांक 28.05.2014 के इंतकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़